कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा),जिला उत्तर बस्तर कांकेर

परियोजना प्रतिवेदन

भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्गूकोंदल का संचालन किया जा रहा है ।

जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत ग्राम **भंडारडिगी, वि. खं.** नरहरपुर के खसरा नंबर 54 रकबा 4.83 हेक्ट. भूमि में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्गूकोंदल की स्थापना हेतु भवन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्गूकोंदल के भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि दुर्गूकोंदल से ग्राम दमकसा मार्ग पर पर स्थित है ।

उक्त चयनित भूमि छोटेझाड़ के जंगल मद अंतर्गत होने के फलस्वरूप वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना है । व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 4.83 हेक्टेयर वनभूमि की मांग आवश्यक न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है।

(माखन सिंह ध्रुव)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर